

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|--|
| | 23/9/24 | पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य 3 में व्यस्त है। अतः पूर्व अनुसार दिनांक 4/11/24 को पेश हो। |
| | 4/11/24 | पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो। |
| | 20.12.24 | फावली पेज दुरी वादीगठ एवं उनके अधिवक्ता सन्तुपस्थित। वादीगठ को आज्ञा-आयालय से प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार सवाजे लगवायी गयी। बावजूद आज्ञा लगवाने के उपरांत भी वादीगठ के आयालय में धाड़ नहीं मने के बावजूद फावली सन्तुगत बादेन-4 सिचम-3 जा०१० के तहत सदन धाड़री व भद्रम पैरकी में धारण की जाती है। फावली फौजल शुमार होकर नंबर से नम होकर यादविल सन्तर हो। |

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

(Faint signature and stamp)

(Faint text)

(Faint text)